भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1605
21 दिसम्बर, 2022 को उत्तरार्थ

सहकारी क्षेत्र में उद्योगों को बढ़ावा देने की योजनाएँ

1605 श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः

क्या ***सहकारिता*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि डेयरी, उर्वरक, कृषि खाद्य उद्योग आदि जैसे विभिन्न उद्योग पंजीकृत हैं और सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हां तो, क्या मंत्रालय सहकारी क्षेत्र के अंतर्गत कार्यरत इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए विकासपरक योजनाओं को लागू करने पर विचार कर रहा है; और

(ग) इन योजनाओं, समय-सीमा और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (ग): जी हां, मान्यवर । भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (NCUI) द्वारा प्रकाशित स्टैटिस्टिकल प्रोफाइल-2018 के अनुसार देश में डेयरी, उर्वरक, कृषि खाद्य, आदि सहित विभिन्न क्षेत्रकों में कार्यरत सहकारी समितियों की संख्या लगभग 8.54 लाख है । सहकारी समितियों का राज्य-वार और क्षेत्रक-वार वितरण का ब्यौरा **अनुबंध** पर संलग्न है।

सहकारिता मंत्रालय ने सहकारी समितियों के प्रोत्साहन के लिए अनेक पहले की हैं जो निम्नानुसार हैं:

i. दिनांक 29 जून, 2022 को मंत्रालय ने 2,516 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से तीन वर्षों में 63,000 कार्यशील पैक्स, जो त्रि-स्तरीय ग्रामीण ऋण संरचना के सबसे निचले स्तर पर आते हैं, के डिजिटलीकरण के लिए "प्राथमिक कृषि क्रेडिट समितियों (पैक्स) के कंप्यूटरीकरण" नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित परियोजना का आरंभ किया । यह परियोजना उनके कार्यों में पारदर्शिता और कुशलता लाएगी । जनजातीय क्षेत्रों में पैक्स के समान समितियां जैसे लार्ज एरिया मल्टीपर्पज़ सोसाइटीज़ (LAMPS) को भी पैक्स परियोजना के कंप्यूटरीकरण से फायदा होगा ।
ii. मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श के पश्चात् आदर्श उपविधियां तैयार की है । पैक्स की ये आदर्श उपविधियां उन्हें डेयरी, मात्स्यिकी, पुष्पकृषि, गोदामों के निर्माण, खाद्यान्न, उर्वरक और बीजों की खरीद, आदि जैसे 25 से भी अधिक व्यावसायिक कार्यकलाप करने में सक्षम करेंगी जिससे आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने में योगदान होगा। सहकारी समितियां इन कार्यों को अपने कार्यक्षेत्र में लाएंगे ।
iii. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC), जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय है, सहकारी क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करता है और प्राथमिक/ जिला सहकारी विपणन समितियों की शेयर पूंजी आधार का संशक्तिकरण, प्रसंस्करण केन्द्रों, भंडारण सुविधाओं की स्थापना, शीत श्रृंखला की स्थापना व आधुनिकीकरण, सहकारी बैंकिंग इकाइयों की स्थापना, कृषि सेवाओं, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं, आदि जैसे विभिन्न कार्य करता है ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, सहकारी समितियों को लाभ प्रदान करने के लिए भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कई अन्य योजनाएं हैं, जो निम्नानुसार हैं:

i. कृषि अवसंरचना कोष (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – एफपीओ, पैक्स, उद्यमियों, स्टार्ट-अप्स और अन्य लाभार्थियों द्वारा फार्म गेट पर अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 3% ब्याज अनुदान और क्रेडिट गारंटी प्रदान की जाती है ।

ii. कृषि विपणन अवसंरचना (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – आय वृद्धि के लिए किसानों के स्तर पर मूल्य वर्धन और प्रसंस्करण का प्रोत्साहन सहित कृषि मूल्य श्रृंखला के समग्र विकास के लिए चैनलाइजिंग एजेंसियों अर्थात नाबार्ड, एनसीडीसी, कृषि और किसान कल्याण विभाग, आदि के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को इस योजना के तहत 25% से 33.33% तक की दर पर सब्सिडि उपलब्ध है ।

iii. कृषि यांत्रिकीकरण पर उपमिशन (SMAM) (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – यह योजना उच्च मूल्य कृषि उपकरणों के लिए कस्टम हाइरिंग केन्द्रों और हब स्थापित करने की परिकल्पना करती है । ये उपकरण किसानों को किराए पर उपलब्ध होंगे और 60 लाख रुपए तक की परियोजना लागत पर 40% की दर पर सब्सिडि उपलब्ध होगी ।

iv. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (MIDH) (कृषि और किसान कल्याण विभाग) – यह योजना बागवानी क्षेत्रक के अधीन विभिन्न कार्यकलापों को कवर करती है जैसे फलों, सब्जियों और फूलों के नए बाग स्थापित करना, पॉली गृहों, ग्रीन हाउस का निर्माण करना, आदि । इन कार्यों के लिए 25-55% तक की सब्सिडि दी जाती है ।

v. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (PMKSY) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) – इस योजना का लक्ष्य फार्म गेट से रीटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण करना है। इस योजना के तहत प्राथमिक प्रसंस्करण आदि के लिए शीतालन कक्ष, शीतागार, एकीकृत पैक हाउस परियोजना लागत की 35% तक की सब्सिडि प्रदान की जाती है जो कठिन क्षेत्रों में 50% तक हो सकती है ।

vi. प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) – यह योजना 'एक जिला एक उत्पाद' का दृष्टिकोण अपनाती है । सामूहिक श्रेणी में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के उन्नयन के लिए सहकारी समितियां 35% सब्सिडि (₹ 10 लाख तक) ले सकती हैं । फार्म गेट पर सामान्य अवसंरचना जैसे कॉमन प्रसंस्करण, सुविधा, छंटाई, ग्रेडिंग, भांडागार एवं शीतागारों, इंक्यूबेशन केन्द्र, आदि की स्थापना के लिए ₹ 3 करोड़ क्रेडिट लिंक्ड अनुदान उपलब्ध है ।

vii. राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (NPDD) (पशुपालन और डेयरी विभाग) – यह योजना दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित प्रापण, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन एवं विपणन को लक्षित करती है ।

viii. डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (DIDF) (पशुपालन और डेयरी विभाग) – इस योजना का लक्ष्य मूल्य वर्धित उत्पादों की विनिर्माण सुविधाएं, दुग्ध शीतालन अवसंरचना, आदि सहित दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचनाओं का आधुनिकीकरण करना है। इस निधि के तहत ऋणों में 2.5% प्रति वर्ष का ब्याज अनुदान शामिल है ।

*****

अनुबंध

एनसीयूआई द्वारा प्रकाशित सांख्यिकीय प्रोफाइल 2018 के अनुसार

	गैर-क्रेडिट समितियां																			क्रेडिट समितियां								
राज्य/केन्द्रीय साशित प्रदेश	मार्केटिंग	कंसुमर	डेरी	हाउसिंग	सुगर	लेबर	फिशरी/पिसिकल्चर/एक्वाकल्चर	पशुधन और मुर्गी पालन	कपड़ा/हथकरघा/स्पिनडलेज/हस्तशिल्प	कृषि-संबद्ध/कृषि-प्रसंस्करण	औद्योगिक	महिला	मल्टी-स्टेट	मल्टी-परपस	सेवा क्षेत्र	ट्राइबल/एससी-एसटी	एस सी यु	अन्य	कुल - नॉन क्रेडिट	एक्स	पीसीएआरडीबी	यूसीबी	एम्प्लोयी थ्रिफ्ट और अन्य क्रेडिट	डीसीसीबी	एससीबी	एससीएआरडीबी	कुल क्रेडिट	कुल योग(गैर-क्रेडिट+क्रेडिट)
अंदमान और निकोबार	62	69	0	76	0	1126	112	53	0	25	115	41	0	288	0	19	1	0	1987	51		0	65		1		117	2104
आंध्र प्रदेश	14	777	3538	716	10	4520	2361	1	483	1305	0	718	18	0	1414	2	1	54466	70344	2051		48	761	13	1		2874	73218
अरुणाचल प्रदेश	2	36	7	0	0	259	11	3	23	14	3	4	1	326	1	0	1	40	731	34		0	17		1		52	783
असम	31	282	440	147	1	32	456	757	5	394	421	2341	5	246	0	80	1	850	6489	766	1	8	2980		1	1	3757	10246
बिहार	522	1875	4280	2742	0	4577	387	237	1095	1829	2723	430	18	261	187	0	1	9187	30351	8463		3	327	23	1	1	8818	39169
चंडीगढ़	1	0	0	204	0	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	0	0	0	225	17		0		0	1		18	243
छत्तीसगढ़	186	951	768	387	0	57	766	0	1	5812	109	287	8	534	0	0	1	144	10011	1333		12		6	1	1	1353	11364
दादरा और नागर हवेली	6	13	14	96	1	4	7	8	0	1	44	5	1	1	31	0	1	11	244	2		0	38				40	284
दमन और दियू	0	1	1	22	0	2	1	0	0	6	4	6	0	2	2	1		49	97	0		0	9				9	106
दिल्ली	0	820	0	2099	0	0	0	0	1	212	1206	0	134	170	2	0	1	279	4924	0		15	1420		1		1436	6360
गोआ	20	103	183	1	0	22	18	1	0	83	0	130	2	1934	0	0	1	895	3393	81		6	341		1		429	3822
गुजरात	2181	2014	18614	17462	31	3835	640	0	9	6746	4535	15	35	160	0	0	1	6588	62866	8484		220	5960	18	1	1	14684	77550
हरीयाना	91	23	7325	7660	15	7725	1	110	2	74	0	4	12	738	0	0	1	33	23814	711	19	7		19	1	1	758	24572
हिमाचल प्रदेश	326	374	563	93	0	103	65	0	391	29	119	17	1	116	0	261	1	340	2799	2127	20	5	439	2	1	1	2595	5394
जम्मू और कश्मीर	111	49	158	61	0	48	1	443	2	0	0	0	0	45	0	0	1	449	1368	643		4		3	1	1	652	2020
झारखण्ड	1	481	540	757	0	1923	386	58	267	425	1366	214	8	122	0	0	0	2913	9461	2345		2	2038	8	1		4394	13855

कर्नाटक	111	1344	15275	1736	38	194	636	50	1227	3941	954	1462	26	2511	250	26	1	730	30512	5679	178	264	4282	21	1	1	10426	40938
केरल	617	4646	3271	400	0	657	655	49	8	128	23	1162	20	314	327	827	1	3072	16177	1647	79	60	1284	14	1	1	3086	19263
लक्षद्वीप	11	2	0	0	0	5	6	0	7	0	15	0	0	1	15	0	0	0	62	19		0					19	81
मध्य प्रदेश	380	4977	9554	2946	1	784	2460	119	968	2093	1525	5675	26	1597	0	272	1	5701	39079	4457	35	51	3753	38	1	1	8336	47415
महाराष्ट्र	1226	1808	13948	101543	180	11269	3300	2951	1738	3456	222	442	562	350	9	1	1	366	143372	21217		502	40762	31	1	1	62514	205886
मणिपुर	24	119	562	173	0	249	416	423	6138	366	0	0	1	155	2	1	1	277	8907	223	1	3	102		1		330	9237
मेघालय	29	54	87	15	0	6	72	109	88	57	103	122	0	456	1	0	1	109	1309	179		3	63		1		246	1555
मिजोरम	7	97	115	6	0	12	58	264	216	246	60	1	0	131	0	7	1	55	1276	159		1			1		161	1437
नागालैंड	86	167	181	38	0	2	398	470	527	1324	51	0	1	3819	73	32	1	128	7298	1719		0	41		1		1761	9059
ओडिशा	1	1	5588	1	0	96	1086	2060	1325	0	117	0	19	0	0	151	1	4155	14601	2701		9		17	1	1	2729	17330
पुदुचेर्री	3	37	125	1	0	27	68	0	23	0	14	7	5	62	0	0	1	23	396	53		1	80		1	1	136	532
पंजाब	85	94	6317	684	8	1720	3	0	3	85	1978	1035	23	0	0	0	1	1286	13322	3543	89	4	457	20	1	1	4115	17437
राजस्थान	491	195	12897	976	0	1020	35	0	4	1	1027	5159	72	0	0	0	1	63	21941	6411	36	37	3	29	1	1	6518	28459
सिक्किम	108	62	345	0	0	2938	8	53	1401	1	18	36	1	207	0	0	1	0	5179	176		1	107		1		285	5464
तमिलनाडु	128	1447	11302	1035	354	85	1364	0	1	52	0	1809	87	46	7	22	1	109	17849	4511	180	129	1788	23	1	1	6633	24482
तेलंगाना	10	1	1850	0	1	0	4016	1	767	1	0	0	3	0	1024	1	1	56620	64296	798		52		9	1		860	65156
त्रिपुरा	1	228	119	5	0	63	155	23	256	90	142	75	0	215	70	4	1	331	1778	268	0	1	18		1	1	289	2067
उत्तर प्रदेश	259	1058	26150	4184	0	935	1034	140	408	981	0	56	136	125	105	0	1	33	35605	8929		66	3536	50	1	1	12583	48188
उत्तराखंड	30	7	4008	1	15	10	19	0	118	55	419	161	4	0	0	0	1	0	4848	759		5		10	1		775	5623
पश्चिम बंगाल	238	2143	3831	6084	1	2648	2669	0	5	69	0	60	47	0	259	0	1	1784	19839	7405	24	43	6326	17	1	1	13817	33656
कुल	7399	26355	151956	152351	656	46953	23670	8383	17507	29901	17313	21493	1277	14932	3779	1707	32	151086	676750	97961	662	1562	76997	371	33	19	177605	854355